उत्तराखण्ड शासन

पशुपालन अनुभाग–1

अधिसूचना

प्रकीर्ण

16 अप्रैल, 2018 ई0

संख्या 253/XV–1/18/7(75)/07–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 की धारा 13 की उपधारा–1 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त), 1904 की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण नियमावली, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने के दृष्टिगत निम्नलिखित नियम बनाते हैं:–

'उत्तराखण्ड राज्य गो वंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2018'

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य गो वंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम 2 में नया नियम 2(च) का अन्तःस्थापन:

उत्तराखण्ड राज्य गो वंश संरक्षण नियमावली, 2011 (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 के वर्तमान नियम 2(ड) के नीचे पर स्तम्भ–2 में 2(च) अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
2. (ड) "स्थानीय प्राधिकारी" के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगरपालिका परिषद् एवं नगर निगम सम्मिलित है।	(ड) "स्थानीय प्राधिकारी" के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत नगरपालिका परिषद् एवं नगर निगम सम्मिलित है। (ङ) "अलाभकर गो वंश" से तात्पर्य निराश्रित वृद्ध/बीमार/घायल/विकलांग/अनुत्पादक अथवा पुलिस/प्रशासन द्वारा गो तस्करों से जब्त केस प्रॉपर्टी गो वंश से है।

3. नियम 4 का संशोधन:

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 के वर्तमान नियम 4 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4. पशु चिकित्साधिकारी पूर्व से निश्चित और प्रार्थी को सूचित किए गए दिनांक को तथा स्थान पर गो–वंश की जाँच करेगा और यदि उसका समाधान हो जाये कि गो वंश राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित या असाध्य रोग एवं पीड़ाजनक परिस्थिति से पीड़ित है तो वह उसको दया मृत्यु दिए जाने के लिए प्ररुप "2" में एक प्रमाण–पत्र जारी करेगा। पशु चिकित्साधिकारी प्रत्येक दशा में अपना निष्कर्ष भी प्रार्थना–पत्र पर अभिलिखित करेगा।	पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा, प्रार्थी को पूर्व से सूचित किए गए समय, दिवस तथा स्थान पर गो वंश की जाँच की जायेगी और यदि उसका समाधान हो जाये कि गो वंश राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित किसी सांस्पर्शिक/संसर्गिक रोग या असाध्य रोग एवं पीड़ाजनक परिस्थिति से पीड़ित है, तो वह उस गो वंश को दया मृत्यु की अनुमति दिए जाने के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट (एस0डी0एम0) को तकनीकी परामर्श दिया जायेगा। उप जिला मजिस्ट्रेट (एस0डी0एम0) द्वारा

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	संशोधित प्ररूप "2" पर उस पशु को दया मृत्यु दिए जाने हेतु अनुमति दी जायेगी।

4. नियम 18 का संशोधनः

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 के वर्तमान नियम 18 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
18. शहरी क्षेत्र में गो–वंश के पालन के लिए स्वामी को अपने नगर के मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी से अपने गो वंश के पंजीकरण हेतु निर्धारित "प्ररूप 10" पर आवेदन करना होगा।	शहरी क्षेत्र में प्रत्येक गो वंश के पालन के लिए पशु स्वामी को अपने क्षेत्र के राजकीय पशु चिकित्सालय पर नियुक्त पशुचिकित्सा अधिकारी से अपने गो वंश के पंजीकरण हेतु संशोधित प्ररूप "10" पर आवेदन करना होगा; पशु स्वामी द्वारा गो वंश का पंजीकरण न कराने की दशा में, ऐसे पशु स्वामियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/पुलिस थाना प्रभारी को प्ररूप–10अ के अनुरुप सूचित किया जायेगा, जिसका संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/पुलिस थाना प्रभारी द्वारा उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 11(क) धारा 11 की उपधारा (3) के तहत ऐसे पशु स्वामियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

5. नियम 19 का संशोधनः

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 के वर्तमान नियम 19 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
19. मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी प्राप्त आवेदन–पत्र यथाशीघ्र आवेदनकर्त्ता के क्षेत्र से सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी को अग्रसारित करेगा और आवेदनकर्ता से यह अपेक्षा करेगा कि वह अपने क्षेत्र के पशु चिकित्साधिकारी से गो वंश का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (प्ररूप 11) तीन प्रतियों में एवं आवेदन–पत्र मूल रूप में उपलब्ध करायें।	सम्बन्धित क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा आवेदन–पत्र प्राप्ति के उपरान्त यथाशीघ्र आवेदनकर्त्ता के प्रत्येक गो वंश का स्वास्थ्य परीक्षण कर "प्ररूप 11" के अनुरूप तीन प्रतियों में स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा। प्रमाण–पत्र की एक प्रति आवेदक को, एक प्रति सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को तथा एक प्रति, कार्यालय प्रति के रूप में अभिलेखबद्ध की जायेगी।

6. नियम 21 का संशोधनः

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 के वर्तमान नियम 21 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
21. स्वामी द्वारा सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारी को अपने प्रत्येक गो वंश के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जायेगा।	(1) पशु स्वामी द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र के पशु चिकित्साधिकारी को अपने प्रत्येक गो वंश के स्वास्थ्य परीक्षण एवं पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जायेगा। (2) अलाभकर गो वंश को शरण देने हेतु मान्यता प्राप्त गो सदनों में शरणागत गो वंश का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं पंजीकरण किया जायेगा।

7. नियम 22 का संशोधनः

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 के वर्तमान नियम 22 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
22. (1) मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पशुपालक को उसके प्रत्येक पशु से सम्बन्धित पंजीकरण प्रमाण–पत्र (प्रारूप 12), जिसमें इयर टैग नम्बर को पशु पंजीकरण संख्या के रूप में अंकित किया गया हो, जारी करेंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा।	(1) सम्बन्धित क्षेत्र के पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र निर्गत किए जाने के उपरान्त संशोधित प्रारूप "12" पर प्रत्येक पशु का, तीन प्रतियों में पंजीकरण प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा। पंजीकरण प्रमाण–पत्र में प्रत्येक पशु का इयर टैग नम्बर अंकित किया जायेगा। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की एक प्रति आवेदक पशुपालक को, एक प्रति मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को तथा एक प्रति, कार्यालय प्रति के रूप में अभिलेखबद्ध की जायेगी।
(2) मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक स्वामी एवं उसके पंजीकृत गोवंश का पूर्ण विवरण, गोवंश पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।	(2) मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रत्येक पंजीकृत गो वंश के पशु स्वामी एवं गो वंश का पूर्ण विवरण, प्ररूप "14" के अनुरूप 'गो वंश पंजीकरण रजिस्टर' में अंकित किया जायेगा तथा इस अभिलेख की त्रैमासिक प्रगति से सम्बन्धित स्थानीय निकाय को अवगत कराया जायेगा।

8. नियम 23 का संशोधनः

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 के वर्तमान नियम 23 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
23. यदि पंजीकृत गो वंश के कान का इयर टैग खो जाता है तो स्वामी द्वारा इसकी सूचना लिखित रूप में तुरन्त मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी को दी जायेगी और ऐसे गो वंश के पुनः पंजीकरण की कार्यवाही नियम 20 एवं 21 के अध्यधीन की जायेगी।	यदि पंजीकृत गो वंश के कान का इयर टैग खो जाता है तो स्वामी द्वारा इसकी सूचना लिखित रूप में तुरन्त सम्बन्धित पशुचिकित्सा अधिकारी को दी जायेगी और ऐसे गो वंश के पुनः पंजीकरण की कार्यवाही नियम 20 एवं 21 के अध्यधीन की जायेगी।

9. नियम 24 का संशोधनः

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 के वर्तमान नियम 24 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
24. यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 8 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन दण्डित किया जा सकेगा।	यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 7 एवं 8 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन करने का प्रयास करता है, तो उसे उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 11 की उपधारा (3) के तहत दण्डित किए जाने हेतु अधिनियम की धारा 11(क) के तहत शमन हेतु प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। इस क्रम में शमन हेतु प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रारूप 15 के अनुरूप चालान की कार्यवाही तथा प्ररुप 16 के अनुरूप शमन की कार्यवाही की जा सकेगी। शमन द्वारा आरोपित अर्थदण्ड का दोषी पशु स्वामी द्वारा एक माह के भीतर भुगतान न किए जाने पर, प्रकरण को न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा।

10. नियम 25 का संशोधनः

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 के वर्तमान नियम 25 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
25. (2) ऐसी संस्थाओं, जिनके पास स्वयं की भूमि उपलब्ध हो, उपलब्ध भूमि विवादग्रस्त न हो तथा भूमि संस्था के कब्जे में हो, को प्राथमिकता दी जायेगी। संस्था द्वारा प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण हेतु राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित न किए जाने और भूमि के पट्टे पर लेने की दशा में भूमि आगामी 30 वर्षों तक पट्टे पर उपलब्ध होने के लिखित अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।	ऐसी संस्थाओं, जिनके पास स्वयं की भूमि उपलब्ध हो, उपलब्ध भूमि विवादग्रस्त न हो तथा भूमि संस्था के कब्जे में हो, को प्राथमिकता दी जायेगी। संस्था द्वारा प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण हेतु राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित न किया गया हो, से संबंधित सत्यापित प्रति दी जायेगी। आवेदक संस्था द्वारा भूमि के पट्टे पर लेने की दशा में भूमि आगामी 30 वर्षों तक पट्टे पर उपलब्ध होने के लिखित अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। आवेदक संस्था द्वारा किराये की भूमि/भवन पर अलाभकर गो वंश हेतु गो सदन संचालित किए जाने की दशा में यह संस्था निर्माण मदों में राजकीय अनुदान हेतु अर्ह नहीं होगी। राजकीय मान्यता हेतु अन्य अर्हताएँ पूर्ण करने की दशा में इस प्रकार की संस्था गो वंश भरण–पोषण मदों, राजकीय पशु चिकित्सालयों पर निःशुल्क पशु चिकित्सा एवं अन्य तकनीकी सेवाओं तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा यथानिर्धारित अन्य राजकीय सुविधाओं हेतु ही अर्ह होंगी।

11. नियम 26 का संशोधनः

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 के वर्तमान नियम 26 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
26. गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से अलामकर गो वंश हेतु संस्थाओं की स्थापना हेतु राजकीय सहायता अनुदान स्वीकृत किए जाने के लिए संस्थाओं द्वारा शरणागत गो वंश की संख्या के आधार पर ही उन्हें राजकीय सहायता अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। समस्त प्रकरण निम्नलिखित छः वर्गों में बाँट लिए जायेंगेः– (क) मैदानी क्षेत्र में 50 गो वंश को शरण देने की क्षमता वाली संस्था; (ख) मैदानी क्षेत्र में 100 गो वंश को शरण देने की क्षमता वाली संस्था; (ग) मैदानी क्षेत्र में 200 गो वंश को शरण देने की क्षमता वाली संस्था; (घ) पर्वतीय क्षेत्र में 50 गो वंश को शरण देने की क्षमता वाली संस्था; (ङ) पर्वतीय क्षेत्र में 100 गो वंश को शरण देने की क्षमता वाली संस्था; (च) पर्वतीय क्षेत्र में 200 गो वंश को शरण देने की क्षमता वाली संस्थाः परन्तु यह कि, यदि संस्था द्वारा वर्तमान में 50 गो वंश को शरण दी गई है तो प्रथम चरण में उस संस्था को कुल 50 गो वंश की क्षमता वाली संस्था की स्थापना हेतु ही राजकीय सहायता अनुदान की स्वीकृति की जा सकेगी। इसी प्रकार 50 से अधिक किन्तु 100 से कम गो वंश को शरण देने वाली संस्थाओं का प्रथम चरण में 100 गो वंश की क्षमता वाली संस्था की स्थापना हेतु ही राजकीय सहायता अनुदान स्वीकृत की जा सकेगी तथा 100 से अधिक किन्तु 200 से कम गो वंश को शरण देने वाली संस्थाओं को प्रथम चरण में 200 गो वंश की क्षमता वाली संस्था की स्थापना हेतु ही राजकीय सहायता अनुदान स्वीकृत की जा सकेगी।	गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से अलामकर गो वंश के हितार्थ स्थापित संस्थाओं के संचालन एवं सुदृढ़ीकरण मदों हेतु राजकीय सहायता अनुदान का प्राविधान किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि, मैदानी क्षेत्रों में 50 से कम अलामकर गो वंश को शरण देने वाली तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 25 से कम अलामकर गो वंश को शरण देने वाली संस्थाएँ राजकीय अनुदान हेतु पात्र नहीं होंगी। समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन के दिशा–निर्देशों एवं बजट की उपलब्धता के अनुरूप आवेदक संस्थाओं के आवेदन प्रकरण स्वीकृत किए जा सकेंगे। संस्था के संचालन (गो वंश भरण–पोषण प्रबन्धन) हेतु, संस्था में शरणागत गो वंश की संख्या के अनुसार समानुपातिक आधार पर राजकीय सहायता अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

12. नियम 27 का संशोधनः

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 के वर्तमान नियम 27 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
27. समस्त अनुदान नियम 26 के अधीन छः वर्गों में ही स्वीकृत किए जायेंगे। सम्बन्धित संस्था को प्रारम्भ में, उल्लिखित स्थान पर प्रस्तावित निर्माण का साइट प्लॉन ले–आउट का आरम्भिक आगणन प्रस्तुत करना होगा। नीतिगत रूप से निर्माण किए जाने के लिए निर्णय हो जाने के उपरान्त आवेदक को साइट प्लॉन ले–आउट का ब्लू प्रिन्ट तथा मदवार वृहद् आगणन प्रस्तुत करना होगा। यह आगणन लोक निर्माण विभाग की राजकीय कार्यों हेतु अनुमन्य दरों पर तदनुसार दरें प्रमाणित करते हुए, प्रस्तुत किए जायेंगे।	समस्त अनुदान नियम 25 एवं नियम 26 के अधीन स्वीकृत किए जायेंगे। उत्तराखण्ड शासन द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों तथा मैदानी क्षेत्रों हेतु निर्धारित मानक मानचित्रों/आंगणनों के अनुरूप ही निर्माण मदों में राजकीय सहायता दी जा सकेगी। समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन के दिशा–निर्देशों एवं बजट की उपलब्धता के अनुरूप आवेदक संस्थाओं को निर्माण मदों अथवा भरण–पोषण मदों में राजकीय सहायता दी जा सकेगी।

13. नियम 29 का संशोधनः

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 के वर्तमान नियम 29 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
29.(1) समस्त आवेदन प्रकरणों की सक्षम अधिकारियों के माध्यम से जाँच कराई जायेगी। सम्यक् जाँचोपरान्त निम्नलिखित चयन समिति द्वारा राजकीय सहायता अनुदान हेतु संस्थाओं का चयन किया जायेगाः– (क) पशुपालन मंत्री – अध्यक्ष (ख) उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग – सदस्य (ग) सचिव, पशुपालन उत्तराखण्ड शासन – सदस्य (घ) विभागाध्यक्ष, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड – सदस्य (ङ) सचिव, उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग – सदस्य सचिव (च) सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड – सदस्य	समस्त आवेदन प्रकरणों की सक्षम अधिकारियों के माध्यम से जाँच कराई जायेगी। सम्यक् जाँचोपरान्त निम्नलिखित चयन समिति द्वारा राजकीय सहायता अनुदान हेतु संस्थाओं का चयन किया जायेगाः– (क) पशुपालन मंत्री उत्तराखण्ड सरकार – अध्यक्ष (ख) अध्यक्ष, उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग – सदस्य (ग) उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग – सदस्य (घ) उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड – सदस्य (ङ) सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन – सचिव (च) विभागाध्यक्ष, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड – सदस्य सचिव (छ) सचिव, उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग – सदस्य (ज) सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड – सदस्य

14. नियम 33 एवं 34 का अंतःस्थापनः

मूल नियमावली के नियम 32 के पश्चात् क्रमशः नियम 33 एवं 34 शीर्षक के साथ एतद्द्वारा निम्न अंतःस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात्–

33. गो उत्तकों के परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापनाः

गो हत्या अथवा गो हत्या की आशंका के आपराधिक प्रकरणों में गो उत्तकों (मांस, रक्त, अस्थि, बाल, त्वचा अथवा अन्य गो उत्तक) के विधि विज्ञान परीक्षण हेतु प्रयोगशाला की स्थापना की जा सकेगी। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी कर संबंधित प्रयोगशाला को दण्ड प्रक्रिया संहिता में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप मान्यता दी जा सकेगी।

34. गो उत्तकों के संकलन, हस्तान्तरण परिवहन एवं परीक्षण हेतु प्रक्रियाः

संबंधित पुलिस थाना अध्यक्ष/चौकी प्रभारी द्वारा क्षेत्र के राजकीय पशु चिकित्सालय पर नियुक्त पशु चिकित्साधिकारी को प्ररुप–17 पर लिखित सूचना दिए जाने पर, संबंधित पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा प्ररुप–18 पर पुलिस के सहयोग से गो उत्तकों (मांस, रक्त, अस्थि, बाल, त्वचा अथवा अन्य गो उत्तक) के नमूने को संकलित कर संबंधित पुलिस थाना अध्यक्ष/चौकी प्रभारी को हस्तगत किए जायेंगे। संबंधित पुलिस थाना अध्यक्ष/चौकी प्रभारी द्वारा गो उत्तक नमूने को पुलिस अभिरक्षा में अधिसूचित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु प्रेषित किया जायेगा। समय–समय पर, प्रचलित एवं उपलब्ध तकनीकों के अनुरूप, गो उत्तक नमूने की मात्रा, संकलन की प्रक्रिया एवं सावधानियाँ, परीक्षण की विधि इत्यादि का निर्धारण हेतु 'निदेशक, उत्तराखण्ड पशुपालन विभाग' सक्षम प्राधिकारी होंगे।

नियम–4 के तहत संशोधित प्ररुप "2"

वर्तमान प्राविधान	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्ररुप
प्ररुप "2" मैं..... जो..... .....का पशु चिकित्साधिकारी हूँ, ने..... की जाँच कर ली है और मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि..... .....विज्ञिप्त सांस्पर्शिक/सांसर्गिक अथवा असाध्य रोग से पीड़ित है और उसको दया मृत्यु दी जा सकती है। दिनांक :	प्ररुप "2" सांस्पर्शिक/सांसर्गिक अथवा असाध्य रोग से पीड़ित गोवंश को दया मृत्यु दिये जाने हेतु अनुमति सेवा में, मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, जनपद –.....। निवेदन है कि मेरे द्वारा गोवंश हुलिया..... .... की जाँच कर ली गई है और मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि, यह गो वंश विशेष विज्ञिप्त सांस्पर्शिक/सांसर्गिक अथवा असाध्य रोग से पीड़ित है और उसको दया मृत्यु दिए जाने की अनुशंसा की जाती है। कृपया सक्षम प्राधिकारी द्वारा दया मृत्यु की अनुमति दिए जाने हेतु प्रकरण अग्रसारित करेंगे। दिनांक : हस्ताक्षर पशुचिकित्सा अधिकारी : नाम पशुचिकित्सा अधिकारी : कार्यालय की मुहर : सेवा में, उप जिला मजिस्ट्रेट (एस0डी0एम0), जनपद –.....। निवेदन है कि, मेरे द्वारा उक्त गोवंश को दया मृत्यु दिए जाने के प्रकरण का तकनीकी निरीक्षण कर लिया गया है। कृपया इस प्रकरण में इस विशिष्ट गोवंश को दया मृत्यु दिए जाने की अनुमति निर्गत करेंगे। दिनांक : हस्ताक्षर मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी : नाम मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी : कार्यालय की मुहर : उक्त विशिष्ट गोवंश को दया मृत्यु दी जा सकती है। दिनांक : हस्ताक्षर उप जिला मजिस्ट्रेट (एस0डी0एम0): कार्यालय की मुहर :

नियम–18 के तहत संशोधित प्ररुप "10"

वर्तमान प्ररुप	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्ररुप
प्ररुप "10" **गो–वंश के पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्र** सेवा में, मुख्य नगर अधिकारी / अधि0 अधिकारी, नगरपालिका / नगर निगम ..... जनपद ..... । महोदय, मैं, ... पुत्र श्री ..... निवासी ..... डाकखाना ..... पुलिस थाना ..... जनपद ..... अपने निम्नलिखित गो–वंशीय पशुओं का पंजीकरण करने के लिए अनुरोध करता हूँ:– गो–वंशीय पशुओं का विवरण : 1. 2. भवदीय, आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर	**प्ररुप "10"** **गो–वंश के पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्र** सेवा में पशु चिकित्साधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय ..... जनपद ..... । महोदय, मैं, ... पुत्र श्री ..... निवासी ..... डाकखाना ..... पुलिस थाना ..... जनपद ..... अपने निम्नलिखित गो–वंशीय पशुओं का पंजीकरण करने के लिए अनुरोध करता हूँ:– गो–वंशीय पशुओं का विवरण : 1. 2. भवदीय, आवेदक के हस्ताक्षर : आवेदक का नाम : आवेदक का पता : आवेदन की तिथि :

नियम–18 के तहत प्रस्तावित प्ररुप "10 अ"

प्रेषक,

पशुचिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी,

राजकीय पशु चिकित्सालय.....

सेवा में,

नगर आयुक्त/मुख्य नगर अधिकारी,

नगरनिगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत.....

पत्रांक.....दिनांक.....

विषय : उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 8 के तहत नगर निकाय अन्तर्गत गो वंशीय पशुओं का पंजीकरण विषयक।

महोदय,

निवेदन है कि,

- उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 की धारा 8 के तहत नगर निकाय क्षेत्र ..... अन्तर्गत, दिनांक .....से .....की अवधि में, कुल. .....पशुपालकों के कुल .....गो वंशीय पशुओं का पंजीकरण किया गया। तद्नुसार इनकी सूची संलग्न कर प्रेषित है/इस कार्यालय के पत्रांक.....दिनांक..... के अनुरूप आपको पूर्व में प्रेषित की गई है। तद्क्रम में अन्य पशुपालकों द्वारा सहयोग किया जाना प्रतिक्षित है।
- गो वंशीय पशुओं का पंजीकरण सुनिश्चित किए जाने हेतु वार्ड संख्या.....अन्तर्गत में दिनांक .....को पशुपालन विभाग द्वारा इयर टैंगिंग/हूलिया पहचान चिन्हीकरण कराया जाना है। तद्क्रम में वर्तमान समय में प्रभावी शासनादेश संख्या 103/XV–1/2011/7(81)/2005, दिनांक 23 मार्च, 2011 के अनुरूप निर्धारित ₹ 50/–प्रति पशु की दर से स्वास्थ्य परीक्षण/गो वंश पंजीकरण प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाना है।

निवेदन है कि, कृपया सम्बन्धित सभासद/पार्षद के माध्यम से वार्ड संख्या.....के डेरी पशुपालकों को सूचित करने की कृपा करेंगे। किंचित पशुपालकों द्वारा असहयोग की स्थिति में अधिनियम की धारा 11(3) एवं धारा 11(क) के तहत कार्यवाही हेतु संज्ञान लेना चाहे।

(डा0.....)

पशुचिकित्सा अधिकारी.....

राजकीय पशु चिकित्सालय.....

पत्रांक :...../तद्दिनांकित

प्रतिलिपि :

1. थाना अध्यक्ष, ... को इस आशय के साथ कि, उक्त क्रम में किंचित पशुपालकों द्वारा असहयोग की दशा में कार्यवाही हेतु अधिनियम की धारा 11(3) एवं धारा 11क के तहत संज्ञान लेना चाहें।
2. सभासद/पार्षद, वार्ड संख्या .....।
3. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, जनपद .....।

पशु चिकित्साधिकारी.....

राजकीय पशु चिकित्सालय.....

नियम–22(1) के तहत संशोधित प्ररुप "12"

वर्तमान प्ररुप

(प्ररुप "12")

गो–वंश के पंजीकरण हेतु प्रमाण–पत्र

श्री .....

पुत्र श्री ..... निवासी .....

डाकखाना ..... पुलिस थाना .....

जनपद ..... के गोवंशीय पशुओं को पशु चिकित्साधिकारी, राजकीय चिकित्सालय ..... द्वारा जारी किए गए पशु स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र संख्या ..... के अनुसार निम्नलिखित रूप से पंजीकृत किया जाता है:–

क्र0 सं0	पशु	लिंग	टैग सं0

मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर, दिनांक और मुहर

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्ररुप

(प्ररुप "12".)

गो–वंश के पंजीकरण हेतु प्रमाण–पत्र

श्री .....

पुत्र श्री ..... निवासी .....

डाकखाना ..... पुलिस थाना .....

जनपद ..... के गोवंशीय पशुओं को इस कार्यालय द्वारा जारी किए गए पशु स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र संख्या.....के आधार पर निम्नलिखित रूप से पंजीकृत किया जाता है:–

क्र0 सं0	पशु का हूलिया (रंग, आयु, ब्यांत, सींग, पूंछ)	लिंग	टैग संख्या

पशुचिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर :

पशुचिकित्सा अधिकारी का नाम :

दिनांक एवं कार्यालय की मुहर :

नियम–22(2) के तहत संशोधित प्ररुप "14"

वर्तमान प्ररुप	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्ररुप
(प्ररुप "14") **गो–वंश पंजीकरण पंजिका** प्ररूप निर्धारित नहीं।	(प्ररुप "14") **गो–वंश पंजीकरण पंजिका** स्थानीय निकाय क्षेत्र का नाम : जनपद का नाम : गत त्रयमास में पंजीकृत गो वंश का विवरणः–

पशु स्वामी का नाम, पता	पंजी0 संख्या	टैग संख्या	लिंग	आयु	सींग	हूलिया, रंग एवं पूंछ

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर :

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी का नाम :

दिनांक एवं कार्यालय की मुहर :

नियम–24 के तहत प्ररुप "15"

आरोपित पक्ष को निर्गत पंचनामा/चालान का प्ररुप

आज दिनांक ....., समय ..... स्थान ..... पर उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2017, उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2015 एवं अधिनियम के अन्तर्गत प्राख्यापित उत्तराखण्ड राज्य गो वंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2016 के प्राविधानों के उल्लंघन हेतु निम्न व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा अपराध होना पाया गया:–

1. पशु स्वामी का नाम एवं पता : .....

.....

.....

2. उक्त कानूनी प्राविधान के उल्लंघन का विवरण (जो लागू न हो, उसे काट दें):

(क) उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम की धारा–7(क) का उल्लंघन करते हुए गो वंश को आवारा छोड़े जाने का अपराध कारित पाया गया।

(ख) उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम की धारा 7(ख) का उल्लंघन करते हुए गो वंश को दूध दुहने के उपरान्त स्वतंत्र विचरण हेतु छोड़े जाने का अपराध कारित पाया गया।

(ग) उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम की धारा–8 का उल्लंघन करते हुए, गो वंश को पंजीकृत न कराये जाने का अपराध कारित पाया गया।

हस्ताक्षर साक्षीगण (1) : ..... (2) : .....

नाम साक्षीगण (1) : ..... (2) : .....

पता साक्षीगण (1) : ..... (2) : .....

आरोपित को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अर्थदण्ड का शमन कराये जाने की सूचना

आप ..... पिता का नाम .....
निवासी ..... थाना .....
जिला .....को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2017/उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2015/उत्तराखण्ड राज्य गो–वंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2016 के अन्तर्गत उक्त वर्णित अपराध कारित किया गया है, इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप दिनांक .....तक मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/पुलिस थाना प्रभारी/पुलिस चौकी प्रभारी (जो लागू न हो, उसे काट दें) ..... के समक्ष उपस्थित होकर कारित अपराध के विपरीत आरोपित अर्थदण्ड का शमन कराते हुए दण्ड राशि का भुगतान कर, भुगतान रसीद प्राप्त कर लें।

ह0 :

प्राधिकृत अधिकारी,

नाम : .....

मुहर : .....

एक प्रति प्राप्त की

.....

(ह0 आरोपित पक्ष)

आरोपित पक्ष की अनुपलब्धता की दशा में पंचनामा/चालान को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें।

नियम–24 के तहत प्ररुप "16"

आरोपित द्वारा कारित अपराध हेतु आरोपित अर्थदण्ड का शमन कराये जाने हेतु प्ररूप

सेवा में,

मुख्य नगर अधिकारी/अधिशासी अधिकारी/पुलिस थाना प्रभारी/पुलिस चौकी प्रभारी,
(जो कि पुलिस उपनिरीक्षक स्तर से कनिष्ठ न हो)

.....

महोदय,

अवगत कराया जाना है कि, पंचनामा चालान संख्या ..... दिनांक ..... के अनुरूप अधोहस्ताक्षरी को उत्तराखण्ड गो–वंश संरक्षण, अधिनियम, 2007 की धारा–7 (गो–वंश को आवारा छोड़े जाने)/ धारा 8 (गो वंश का पंजीकरण न कराये जाने) के प्राविधानों का उल्लंघन किए जाने हेतु दोषी पाया गया। भविष्य में पुनः इस दोष की कदापि पुनरावृत्ति नहीं होगी।

अतः, अनुरोध है कि कृपया उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 11(क) एवं उत्तराखण्ड राज्य गो वंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम–24 के तहत इस प्रकरण में कारित अपराध के विपरीत आरोपित अर्थदण्ड का शमन स्वीकार करते हुए, दण्ड की राशि ₹ 1,000.00 मात्र (रु0 एक हजार मात्र) का भुगतान प्राप्त कर भुगतान रसीद निर्गत करने की कृपा करेंगे।

दोषी पशु स्वामी के हस्ताक्षर : .....

दोषी पशु स्वामी का नाम : .....

दोषी पशु स्वामी का पता : .....

नियम–34 के तहत प्ररुप "17"

गोहत्या / गोमांस की आशंका के क्रम में विषय विशेषज्ञ आख्या / विधि विज्ञान परीक्षण हेतु गो उत्तक नमूना संकलन के क्रम में प्रारूप–पत्र

सेवा में,

पशुचिकित्सा अधिकारी,

राजकीय पशु चिकित्सालय .....

जनपद – .....

महोदय,

सूचित किया जाना है कि दिनांक ..... को पुलिस थाना / चौकी ..... अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या ..... (अथवा संलग्न तहरीर / अथवा स्वतः संज्ञान) द्वारा गोहत्या / गोमांस की आशंका के क्रम में अपराध संज्ञान में आया है। इस प्रकरण में आपके स्तर से विषय विशेषज्ञ आख्या से अवगत कराने का कष्ट करेंगे तथा आवश्यकता के अनुरूप विधि विज्ञान परीक्षण हेतु गो उत्तक नमूना संकलित कर उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

हस्ताक्षर, थाना प्रभारी / चौकी प्रभारी : .....

नाम, थाना प्रभारी / चौकी प्रभारी : .....

कार्यालय मुहर : .....

नियम–34 के तहत प्ररुप "18"

विधि विज्ञान परीक्षण हेतु संकलित गो उत्तक नमूना प्रेषण हेतु प्ररुप पत्र

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,

राजकीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला पशुलोक, ऋषिकेश,

जनपद – देहरादून।

महोदय,

सूचित किया जाना है कि दिनांक ..... को पुलिस थाना/चौकी ..... अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या ..... (अथवा संलग्न तहरीर/अथवा स्वतः संज्ञान) द्वारा गोहत्या/गोमांस की आशंका के क्रम में अपराध संज्ञान में आया है। इस प्रकरण में आपके स्तर से विधि विज्ञान परीक्षण हेतु गो उत्तक नमूना संकलित कर निम्नानुसार संरक्षित कर अग्रसारित हैः–

नमूने की मात्रा :

नमूने की स्थिति :

परिरक्षक द्रव का नाम :

मुहरबन्द किए जाने की तिथि :

मुहरबन्द किए जाने का समय :

मुहरबन्द सत्यापन (Seal attestation) संलग्न कर प्रस्तुत है।

मुहरबन्दी के समय साक्षीगणों के हस्ताक्षरः–

1. साक्षी संख्या–1 के हस्ताक्षर ..... 2. साक्षी संख्या–2 के हस्ताक्षर .....

साक्षी संख्या–1 का नाम ..... साक्षी संख्या–2 का नाम .....

साक्षी संख्या–1 का पता ..... साक्षी संख्या–2 का पता .....

प्रकरण पर पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा संक्षिप्त रिपोर्ट :

प्रकरण पर पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक आख्या :

पशुचिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर/तिथि : .....

पशुचिकित्सा अधिकारी का नाम : .....

पशुचिकित्सा अधिकारी का पदनाम : .....

पशुचिकित्सा अधिकारी की कार्यालय मुहर : .....

पत्र प्रेषण पत्रांक/तिथि : .....

नमूना प्राप्तकर्ता पुलिसकर्मी के हस्ताक्षर/तिथि : .....

नमूना प्राप्तकर्ता पुलिसकर्मी का नाम : .....

नमूना प्राप्तकर्ता पुलिसकर्मी का पदनाम : .....

नमूना प्राप्तकर्ता पुलिसकर्मी के नियंत्रक पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर/तिथि : .....

नमूना प्राप्तकर्ता पुलिसकर्मी के नियंत्रक पुलिस अधिकारी का नाम : .....

नमूना प्राप्तकर्ता पुलिसकर्मी के नियंत्रक पुलिस अधिकारी का पदनाम : .....

पत्र प्रेषण पत्रांक/तिथि : .....

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,

सचिव।